

LA

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या-531एलएएस/13-88मिस/एलएएस/2000

दिनांक: १० फरवरी 2013

कार्यालय आदेश

दिनांक-29-01-2013 को निगम निदेशक मण्डल की 192 वीं बैठक में प्रस्तुत नद सं० 11 के एजेण्डा नोट पर पारित संकल्प के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा रोड-ट्रान्सपोर्ट कांफेरिशन एक्ट-1950 की धारा-12 (1) की उपधारा-सी के अन्तर्गत निगम की ओर से विधिक वादों में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार निगम के अधिकारियों के मध्य निम्न प्रकार से निहित किया गया, जिसे एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किया जाता है:-

1- मुख्यालय से सम्बंधित या मुख्यालय स्तर से पैरवी किये जाने वाले वादों में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार

वाद से सम्बंधित मुख्यालय के शाखाधिकारी

2- केन्द्रीय कार्यशाला/डा० रा०म०ल० कार्यशाला कानपुर से सम्बंधित वादों या उस स्तर से पैरवी किये जाने वाले वादों में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार

वाद से सम्बंधित कार्यशाला के प्रधान प्रबन्धक

3- क्षेत्र से सम्बंधित या क्षेत्रीय स्तर से पैरवी किये जाने वाले समस्त वादों में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार

वाद से सम्बंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक

(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:-समसंख्यक,समदिनांकित।

- 1- समस्त शाखाधिकारी परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ की अनुपालनार्थ।
- 2- प्रधान प्रबन्धक के०कार्य०/डा०रा०म०ल०कार्य० उ०प्र० परिवहन निगम कानपुर को अनुपालनार्थ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम को अनुपालनार्थ।
- 4- समस्त सहायक विधि अधिकारी/सहा०क्षे०प्र०(कार्मिक) उ०प्र० परिवहन निगम को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलकत्ता